Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में पुलिस थाना आमेट का सहायक उपनिरीक्षक एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 सितम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी राजसमंद इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये निसार अहमद सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना आमेट, जिला राजसमंद एवं उसके दलाल कमलेश दर्जी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज शिकायत में कार्यवाही उसके पक्ष में करने एवं आपसी राजीनामा कराने की एवज में निसार अहमद सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना आमेट, जिला राजसमंद द्वारा उसके दलाल कमलेश दर्जी (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख 50 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी राजसमंद इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री मन्शाराम** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये निसार अहमद पुत्र श्री हसन खान निवासी पुराना पटवार मण्डल के पास, कस्बा सहाड़ा, पुलिस थाना गंगापुर, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा हाल सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना आमेट, जिला राजसमंद एवं उसके दलाल कमलेश दर्जी पुत्र श्री अमरचंद निवासी साकरड़ा, तहसील व पुलिस थाना आमेट, जिला राजसमंद (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र गोयल के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।